

प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 13.11.2023

अवैध शस्त्र से हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शस्त्रों के प्रयोग से संबंधित अपराधों अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बांसगांव के नेतृत्व में 30नि0 विकास नाथ मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त कुलदीप मौर्या पुत्र रामलौट मौर्या निवासी ग्राम-भरोहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर को पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-698/2023 धारा 307,506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कुलदीप मौर्या पुत्र रामलौट मौर्या निवासी ग्राम-भरोहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-698/2023 धारा 307,506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा 315 बोर व 4 अदद जिन्दा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व0उनि0 लक्ष्मीनारायण द्विवेदी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0-विकास नाथ थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 श्रीनिवास सिंह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
4. का0 विपिन यादव थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर